

मामूल

डा० रणबीर सिंह,
राजेश,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा मं.

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

कृषि एवं विषयक अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांक 26 मई, 2009

विषय— कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि हेतु प्रस्ताव।
महोदय,

जर्जीयवत् विषयक आपके पत्र राख्या-209 / तक ००४० / मजदूरी / 2008-09 दिनांक 17 अप्रैल, 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि कृषि विभाग में आकुशल कैफ्या के शर्मिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अधिसूचना संख्या-2694/XIII/40-श्रम/2008 दिनांक 27 नवम्बर, 2008 (प्रति संज्ञन) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।

लालगनक—यथोपरि

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
श्रम विभाग
संख्या २६१५ / V111 / 40—श्रम / 2008
देहरादून : दिनांक २७ नवम्बर, 2008

अधिसूचना

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) (तीन) संपर्कित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या १२३३/श्रम—सेवा / 228—श्रम / 2004 देहरादून दिनांक 2 जून, 2004 का अधिकमण कारके शासन के कार्यालय द्वापर संख्या : 1903 / VIII / 40—श्रम (टीसी) / 02, दिनांक 23 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सितम्बर, 2008 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गठित उप समिति की संस्तुतियों पर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तराखण्ड में कृषि के अनुसूचित नियोजन में नियोजित अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नवत निर्धारित एवं पुनरीक्षित करते हैं।

1. कृषि के अनुसूचित नियोजन में नियोजित अकुशल श्रमिकों के लिए वयस्क श्रमिकों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार ($1982=100$) के 635 अंक पर निम्नवत होंगी :-

कृषि कार्य का प्रकार	प्रवर्तन क्षेत्र	वयस्क श्रमिकों के लिए मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें
(एक) भूमि को जोतना और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, कृषि उपज को मंडी के लिए तैयार करना और भंडार या मंडी में देना या मंडी तक परिवहन के लिए पहुँचाने का कार्य, सभी आकार के फार्मों में, जिनमें नोटिफाइड एरिया, स्ट्रॉन्सिपल या कैन्टोमैट की सीमाओं के छः किलोमीटर के भीतर, स्थित फार्म भी सम्मिलित हैं, मशरूम की खेती सहित कृषि कर्म के आनुषंगिक रूप में या उसके साथ-साथ की जाने वाली कियाएं	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड	2600.00 रु० प्रतिमाह या 100.00 रु० प्रतिदिन
(दो) वन सम्बन्धी या काष्ठ उपकरण सम्बन्धी कियाएं, जो किसी कृषक द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य के आनुषंगिक रूप में या उसके साथ-साथ की जाती हैं।		
(तीन) दुम्घ उद्योग, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुकुट पालन और उनकी आनुषंगिक कियाएं।		

2. परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता :-

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ($1982=100$) के अंक 635 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 2.80 रुपया प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन कमशः वर्ष में दो बार अप्रैल और अक्टूबर से

10. जहां किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे श्रमिकों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर या उसके बिना, ठेका श्रमिकों के माध्यम से कराया जा रहा है तो ऐसे ठेका श्रमिक भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों के समान इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय मंहार्ड भत्ता सहित) के हकदार होंगे।

(अंजली प्रसाद)
अपर सचिव।

पृष्ठोंके त संख्या ६९५ / VIII / 40-श्रम / 2008 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
3. अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून/हल्द्वानी।
4. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी को उपरोक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 50-50 प्रतियों शासन एवं श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव।